


<p>तारीख हुकम</p>	<p><b>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b></p> <p>छगनलाल पुत्र श्री पुखराज माली, निवासी कृष्णा कॉलोनी, मोकमपुरा रोड, मैन बाजार, रानी स्टेशन, जिला पाली (राज.)</p> <p><b>बनाम</b></p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :- 64/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/117 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.08.2024</p>	<p>∴ निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. पत्रावली आज पेश हुई ।</li><li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li><li>3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, रानी ने अपने पत्र द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li><li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना के संबंध में सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li><li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li><li>6. निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li></ol> <p style="text-align: center;"> (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	